रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 7, 2001/फाल्गुन 16, 1922
No. 101] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 7, 2001/PHALGUNA 16, 1922

GOVERNMENT OF INDIA

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2001

सा.का.नि. 165(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 878(अ), तारीख 20 नवम्बर, 2000 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1), तारीख 20 नवम्बर, 2000 में, ऐसे व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के ऐसे राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किए गए थे;

और भारत के उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 21 नवम्बर, 2000 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट "ख" में,—

(क) मद क्र. 18.06 में, अन्त में निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"पिसाई/प्रसंस्करण के लिए आशयित खाद्यान्न साफ और सभी अपद्रव्यों से जिसके अन्तर्गत विजातीय पदार्थ (बाह्य पदार्थ) भी हैं, मुक्त होगा";

(ख) मद क. 18.06.01, क. 18.06.02, क. 18.06.03, क. 18.06.05, क. 18.06.06, क. 18.06.07, क. 18.06.08, क. 18.06.09, क. 18.06.10, क. 18.06.11, क. 18.06.12, क. 18.06.13 और क. 18.06.14 में प्रत्येक में,—

(1) मानक (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मानक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) विजातीय पदार्थ (बाह्य पदार्थ)	भार के आधार पर 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जिसका भार के आधार पर 0.25 प्रतिशत से अनधिक खनिज पदार्थ होगा तथा भार के आधार पर 0.10 प्रतिशत से अनधिक प्राणी उद्गम के अपद्रव्य होंगे।";

(2) मानक (viii) का लोप किया जाएगा;

(ग) मद क. 18.06.04 में,—

(1) मानक (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मानक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) विजातीय पदार्थ (बाह्य पदार्थ)	भार के आधार पर 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जिसका भार के आधार पर 0.25 प्रतिशत से अनधिक खनिज पदार्थ होगा तथा भार के आधार पर 0.10 प्रतिशत से अनधिक प्राणी उद्गम के अपद्रव्य होंगे।";

(2) मानक (vii) का लोप किया जाएगा।

[सं. पी. 15014/11/2000-पी.एच. (खाद्य)]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के भारत राजपत्र, भाग-2, खंड 3 में, का.नि.आ. 2105, तारीख 12 सितम्बर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 67(अ), तारीख 5-2-2001 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2001

G.S.R. 165(E).— Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, were published as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), with the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 878 (E), dated the 20th November, 2000, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 20th November, 2000 inviting objections and suggestions from all persons, likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public;

And, whereas the copies of the said Gazette of India were made available to the public on 21st November, 2000;

And, where,as the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955,namely:-

RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (3rd Amendment) Rules, 2001

(2) They shall come into force after expiry of three months from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, —in Appendix 'B',-

(a) in item A.18.06, the following shall be inserted at the end, namely:-

" The foodgrains meant for grinding/ processing shall be clean, free from all impurities including foreign matter (extraneous matter).";

(b) in each of the items A.18.06.01, A.18.06.02, A.18.06.03, A.18.06.05, A.18.06.06, A.18.06.07, A.18.06.08, A.18.06.09, A.18.06.10, A.18.06.11, A.18.06.12, A.18.06.13, and A.18.06.14,-

(1) for standard (ii), the following standard shall be substituted, namely:-

"(ii) Foreign matter- (Extraneous matter)	Not more than 1 per cent. by weight of which not more than 0.25 per cent. by weight shall be mineral matter and not more than 0.10 per cent. by weight shall be impurities of animal origin.";

(2) Standard (viii) shall be omitted;

(c) in item A.18.06.04, -

(1) for standard (ii) ,the following standard shall be substituted, namely: -

"(ii) Foreign matter- (Extraneous matter)	Not more than 1 per cent. by weight of which not more than 0.25 per cent. by weight shall be mineral matter and not more than 0.10 per cent. by weight shall be impurities of animal origin.";

(2) Standard (vii) shall be omitted.

[No. P. 15014/11/2000-PH(Food)]

DEEPAK GUPTA, Jt Secy

Note.—The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II, Section 3 of the Gazette of India vide S.R.O. 2105 dated the 12th September, 1955 and were last amended vide G.S.R. 67(E) dated 5-2-2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054